कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-69/2016-17/

दिनांक : /01/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- कालसी

जिला- देहरादून

विषय : क्षेत्र पंचायत कालसी का वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **11** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी (निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड) के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 69/2016-17/ **दिनांक: /01/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा रोड़पार्क के पास.टी.आई ,, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिटनिदेशालय (, द्वितीयतल-, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4- जिला पंचायतराज अधिकारी, देहरादून

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये खण्ड़ विकास अधिकारी, क्षे.पं.- कालसी, जनपद- देहरादून पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड़ विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) - प्रमुख, क्षेत्र पंचायत

(ii) श्रीमती बी.पी.खण्डूरी खण्ड़ विकास अधिकारी (प्रभारी)

(बसंप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (

(i) श्री लक्ष्मण सिहं, वरिष्ठ लेखापरीक्षक

(ii) श्री केदार सिहं, स.ले.प.अ. .

(iii) श्री विजय बडथ्वाल, स.ले.प.अ

(vi श्री बी.एस.चन्देल, व.ले.प.अ.

(ससंप्रेक्षा तिथि (06.11.2016 से16.11.2016 तक

(दसंप्रेक्षा में आच्छादित अवधि (:2013-14 से 20115-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं.- कालसी, जनपद- देहरादून**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतो तथा ग्राम पंचायतों की संख्या हैः-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः 112

भौगोलिक क्षेत्र :-

जनसंख्या :

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या

3- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः

4- (ब) उपसमितियों स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: बैठक

5- कर्मचारियों की संख्या : 23

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट:-

8- योजनाओं की संख्या :--

9- (अ)सामाजिक संरक्षा

(ब (रोजगार सृजन से सम्बन्धित -

(वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें: -

(लाभार्थीयों की संख्या-

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : कोई नही

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय व्यय विवरण के अनुसार-

(अ-सामान्यः (भाग -3 के अनुसार)

(ब योजनाओं पर ((प्रत्येक योजना का अलगएवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये। (अलग दर्शाया जाये-

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है -

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- कालसी, जनपद- देहरादून** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री बी.एस.चन्देल, व.ले.प.अ.श्री विजय बडथ्वाल,स.ले.प.अ..श्री केदार सिहं, स.ले.प.अ.एवं श्री लक्ष्मण सिहं, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.11.2016 से 16.11.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग4(ब)-1**	**प्रस्तर भाग 4(ब)-2**
(i)महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर -		
AIR-541/2015-16	शून्य	प्रस्तर-01.02&03

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -	

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: - शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख: - शून्य

भाग4(ब)–2

प्रस्तर 1(अ):- सांसद निधि के अंतर्गत कराये गए ` 11.40 लाख के कार्यों का अपूर्ण रहना ।

सांसद निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार अवमुक्त धनराशि को एक माह के अंतर्गत व्यय तथा स्वीकृत कार्य को 90 दिनों के अंतर्गतअवश्य पूर्ण कर लिया जाना चाहिए तथा प्रथम किस्त में अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष 80% धनराशि व्यय होने के उपरांत ही द्धितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की जाएगी, साथ ही द्धितीय किस्त/अंतिम किस्त की धनराशि की अवमुक्ति हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र, व्यय धनराशि के सापेक्ष माप पुस्तिका की प्रमाणित प्रति, गुणवत्ता प्रमाणपत्र, निर्धारित प्रारूप में प्रथक से कार्यस्थल पर बोर्ड लगाए जाने का प्रमाणपत्र तथा निर्माणाधीन कार्य के विभिन्न अवस्थाओं के स्पष्ट फोटोग्राफ (कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल का, निर्माणाधीन कार्य का एवं कार्य पूर्ण होने की दशा मे पूर्ण कार्य का) उपलब्ध करना आवश्यक होगा।

क्षेत्र पंचायत कालसी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक आरंभ कराये गए 11 कार्य लेखापरीक्षा माह तक अपूर्ण थे :-

वर्ष	कुल अपूर्ण कार्य	लागत(लाख में)
2013-14	05	5.40 लाख
2014-15	05	4.00 लाख
2015-16	01	2.00 लाख
कुल योग	**11 कार्य**	**11.40 लाख**

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि "11 कार्यों पर नोटिस जारी किए गए हैं कार्मिक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप उनको कई बार नोटिस भेजे गए हैं तथा वसूली निर्धारित भी की गई है" तथा शीध्र ही इसपर ठोस कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों की ये कार्य 90 दिनों की अवधि में पूर्ण किये जाने चाहिए थे। समय बीतने के साथ-साथ मूल्य बृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता तथा चूँकि उक्त योजना में लागत पुनरीक्षित कराने का प्रावधान नही है

अतः इतनी ही धनराशि में कार्य पूर्ण किये जाने पर गुणवत्ता में समओंते से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तर 1(ब): सांसद निधि से कराये गए ` 4.70 लाख के निर्माण कार्यों में पायी गई कमियाँ

क्रमांक	कार्य का नाम	कमियाँ
1	ग्राम टिमरी में शिव मंदिर तक बाउंडरी वाल का निर्माण (लागत 50,000/-)	1. मास्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या, दिनांक ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे । 2. माप पुस्तिका की प्रमाणित प्रति, गुणवत्ता प्रमाणपत्र, एवं कार्यस्थल पर बोर्ड लगाए जाने का प्रमाणपत्र आदि संलग्न नहीं था ।
2	ग्राम हरिपुर की नेपाली बस्ती में समूहिक आँगन निर्माण (लागत 50,000/-)	1. मास्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या, दिनांक ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे । 2. निर्माण कार्य में क्रय की गई सामग्री का गुणवत्ता प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया था । 3. साइन बोर्ड की लागत प्रत्येक कार्य मे प्रथक प्रथक दर्शाई गई थी । 4. माप पुस्तिका की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं थी।
3	ग्राम झुसोऊ खनगाड़ क्यारी में हौज निर्माण (लागत 70,000/-)	1. मस्टर रोल पर संबन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का पालन नहीं किया गया था अर्थात कार्य के अंतर्गत क्रय की गई सामाग्री का गुणवत्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था । 3. माप पुस्तिका की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं थी ।
4	ग्राम पंचायत तिलवाड़ी व्यसभूड़ में श्याम सिंह नेगी के घर के पास पुलिया निर्माण (लागत 1,50,000/-)	1. मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या, दिनांक ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत

		अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे । 2. निर्माण कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का पालन नहीं किया गया था अर्थात रुपये 58750/- का सीमेंट सरिया क्रय का गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया था । 3. रायल्टी की कटौती अंदाज से की गई थी MB में दर एवं माप की गणना उपलब्ध नहीं थी । 4. MB की छाया प्रति पत्रावली में नहीं लगाई गई थी ।
5	ग्राम भजरा के गाड़ छानी में पुलिया निर्माण (लागत 1,50,000/-)	1. मास्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या, दिनांक ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे । 2. MB की छाया प्रति पत्रावली में नहीं लगाई गई थी । 3. Detailed estimate मे एवं MB मे मात्रा एवं दर मे अंतर था जबकि कुल धनराशि ` 1,50,000/- ही थी । अंतर होने का कारण MB मे विस्तरित आगणन के सापेक्ष कम items of works लिए गए थे । MB में विस्तृत आगणन में दर्ज items of works के अलावा कार्य कराया गया था । 4. अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का पालन नहीं किया गया था अर्थात गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया था ।

उपरोक्त कमियों के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा कहा गया कि संबन्धित अवर अभियंता को भविष्य हेतु निर्देश पृथक से जारी किए जाएँगे, धनराशि का ब्योरा भी दर्शाया जाएगा, एम बी मूल रूप में प्रस्तुत की गई है, फोटो स्टेट मशीन न होने के कारण नहीं लगाई गई है, भविष्य में इसका पालन किया जाएगा ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार सभी अपेक्षित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए था । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

प्रस्तर 2(अ):- विधायक निधि के अंतर्गत कराये गए ` 57.36 लाख के कार्यों का अपूर्ण रहना ।

विधायक निधि के संदर्भ में दिये गए दिशानिर्देशों एवं कार्यादेश में दिये गए बिन्दुओं के अनुसार इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य अन्य के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन कराया जाना था :

1. निर्माण कार्य स्वीकृत कार्य के कार्यादेश की तिथि से 2 माह के समय के भीतर आवश्यक रूप से पूर्ण कराएँ ।
2. योजना का निर्माण कार्य उक्त स्वीकृत धनराशि के भीतर ही कार्य पूर्ण कराया जाएगा ।
3. योजना के निर्माण कार्य में सामग्री उच्च कोटि की लगाई जाएगी ।
4. इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होंगे तथा स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन पर बल दिया जाएगा ।
5. संबन्धित मुख्य विकस्स अधिकारी इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर निर्माण कार्य से समन्वय और इनके समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे ।
6. विधायक निधि योजना का निर्माण कार्य लिखा हुआ सूचना पट्ट कार्यस्थल पर लगाया जाएगा ।
7. इस योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में 75% धनराशि अवमुक्त की जानी थी ।

कालसी क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया की विधायक निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में कुल 186 कार्य स्वीकृत किए गए थे । जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की गई थी । आगे यह पाया गया की 186 के सापेक्ष मात्र 86 कार्य ही पूर्ण किए गए थे जबकि 100 कार्य 9 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अपूर्ण थे (संलग्नक क)।

इस विषय में इकाई से पूछे जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कर बताया गया कि सभी कमियों को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाएगा तथा आगे के कार्यों में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराई जाएगी । इकाई का उत्तर अमान्य था क्योंकिनिर्धारित समयावधि में कार्यों को पूर्ण नहीं कराया गया, विलंब होने से अर्ध निर्मित कार्यों के क्षरण होने की संभावना रहती है ।

प्रस्तर 2(ब): विधायक निधि से कराये गए ` 18.11 लाख के निर्माण कार्यों में पायी गई कमियाँ

क्रमांक	कार्य का नाम	कमियाँ
1	ग्राम ग्राम लेलटा से धोई छानी तक संपर्क मार्ग निर्माण(लागत 1,00,000/-)	1. प्रथम किस्त के रूप में 75% से अधिक धनराशि (78,000/-) मुक्त की गई थी । 2. मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या, दिनांक ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे । 3. निर्माण कार्य से पूर्व स्थल की लगाई गई फोटो तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर स्थल की लगाई गई फोटो में कोई विशेष अंतर नहीं था, जिससे 15 मजदूरों द्वारा 42 दिन

		तक कार्य किए जाने पर संदेह था, जैसा कि item of work में दर्शाया गया था । अभिलेखों में MB की छाया प्रति संलग्न नहीं की गई थी । 4. कार्य की निरीक्षण/अनुश्रवण रिपोर्ट संलग्न नहीं थी । 5. Estimate में board ` 2000/-का था जबकि ` 2500/- चार्ज किया गया था ।
2	ग्राम डांडा पिहानी से बुलगाड तक संपर्क मार्ग निर्माण(लागत 1,05,000/-)	1. प्रथम किस्त के रूप में 75% से अधिक धनराशि (88,000/-) अवमुक्त की गई थी । 2. मस्टर रोल पर उपस्थिती लेने वाले कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या, दिनांक ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे । 3. माह मार्च 2016 मे सभी 31 दिन कार्य दिवस दर्शाया गया था ।
3	ग्राम डिमाउ से डांडा छानी तक संपर्क मार्ग निर्माण (लागत 90,000/-)	1. निर्माण कार्य से पूर्व स्थल की लगाई गई फोटो तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर स्थल की लगाई गई फोटो में कोई विशेष अंतर नहीं था, जिससे 14 मजदूरों द्वारा 39 दिन तक कार्य किए जाने पर संदेह था, जैसा की item of work में दर्शाया गया था । अभिलेखों में MB की छाया प्रति संलग्न नहीं की गई थी ।
4	बिसोई मंदिर के सौंदर्यकरण का कार्य (लागत 10,00,000/-)	1. आगणन में दर्शाये गए कार्य विवरण के अनुसार कार्य नहीं कराया गया था क्योंकि MB मे दिये गये विवरण में अंतर था । 2. मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या, दिनांक, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे । 3. कार्य के निरीक्षण किए जाने की तिथि दर्ज नहीं थी ।
5	कहा नैहरा पुनाह के किराड़ खड्ड मे सुरक्षात्मक कार्य व चैक डैम निर्माण (लागत 2,50,000/-)	1. आगणन मे दिये गए विस्तृत कार्य विवरण एवं MB मे दर्शाई गई गणना में अंतर था। 2. मस्टर रोल की प्रविष्टियों को पूर्ण रूप से नहीं भरा गया था ।

		3. निर्माण कार्य मे wire crate का मूल्य आगणन मे ` 2,39,093/- दर्शाया गया था जबकि MB में ` 2,29,400/- दर्शाया गया था किन्तु वाउचर मात्र ` 35,400/- का संलग्न किया गया था । 4. कार्य के निरीक्षण किए जाने की तिथि दर्ज नहीं थी ।
6	ग्राम सराडी -1 व सराडी-2 से छिबरो तक संपर्क मार्ग (लागत 1,00,000/-)	1. मस्टर रोल की प्रविष्टियों को पूर्ण रूप से नहीं भरा गया था । 2. Sign board पर ` 2500/- चार्ज किए गए थे जबकि इसी प्रकार की अन्य योजनाओं मे ` 1000/- से ` 2000/- तक चार्ज किए गए थे।
7	ग्राम किरौउ सिपोउ से बसोई खेड़ा स्यारणी खड्ड अश्व मार्ग व तारजाल कार्य (लागत 1,66,000/-)	1. योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं योजना पूर्ण होने के बाद के फोटोग्राफ मे अंतर था तथा sign board की लागत ` 2500/- चार्ज की गई थी । 2. मस्टर रोल की प्रविष्टियों को पूर्ण रूप से नहीं भरा गया था । 3. तार जाल पर ` 18,000/- का वाउचर संलग्न किया गया था जोकि आगणन में नहीं दर्शाया गया था । 4. कार्य की निरीक्षण तिथि दर्ज नहीं थी ।

इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गई । तथा बताया गया कि कार्यों में इस प्रकार की गलती नही दोराई जाएगी। उत्तर आमान्य है क्योंकि निर्देशों का पालन नहीं करने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को प्रभाकित होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः निर्माण कार्यों के समय से पूर्ण न होने एवं पूर्ण कार्यों में पायी गयी अनियमितता के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 03– विभिन्न मदों के तहत प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि ` 5.76 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 347/वि.आ.निदे.(तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17जनवरी, 2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, व ग्राम पंचायत) को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि (जैसे राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, क्षेत्र विकास निधि, विधायक निधि, पी.एम.जी.एस. वाई., मनरेगा आदि) जो लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण बैंकों में जमा रहती है तथा जिस पर ब्याज अर्जित होता है उस अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष के ब्याज प्राप्ति मद में (0049 ब्याज प्राप्ति शीर्ष) जमा किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत, कालसी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया इकाई को विभिन्न योजनाओं में आवंटित धनराशि पर मार्च 2016 तक ` 5.76 लाख की धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसे लेखापरीक्षा तिथि तक राजकोष में जमा नही कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि यथाशीघ्र ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करना अनिवार्य है तथा धनराशि को समय से राजकोष में जमा कर इसका उपयोग अन्य विकास कार्यों में किया जा सकता था।

अतः अर्जित ब्याज की धनराशि ` 5.76 लाख को राजकोष में जमा न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 4 (अ) : क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अंतर्गत ` 279600/- धनराशि के निर्माण कार्यों में अनियमिततायें

क्षेत्र पंचायत कालसी, जनपद देहरादून के क्षेत्र पंचायत निधि के वर्ष 2013-14 से 2015-16 से संबन्धित चयनित निर्माण कार्यों के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित तथ्य/बिन्दु प्रकाश में आये जिनकी विस्तृत जानकारी **अनुलग्नक "अ"** में दर्शाया गया है : -

(अ) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (डी.पी.सी. 9) में कार्य पूर्ण/निरीक्षण की तिथि अंकित नहीं की गयी थी। साथ ही माप पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ एवं कार्य पूर्ति तिथि अंकित नहीं की गयी थी (क्रम संख्या 01 से 06 पर अंकित कार्य योजना)।

(ब) निर्माण कार्यो में उपयोग में लाये जाने वाली सामग्री की मात्रा (क्वान्टिटी) का आंकलन आगणन में नहीं दर्शाया गया था ((क्रम संख्या 02 & 03 पर अंकित कार्य योजना)।

(स) आगणन के अनुसार निर्माण कार्य में सीमेंट का उपयोग किया जाना था परंतु माप पुस्तिका एवं पत्रावली में न ही सीमेंट के उपयोग का कोई प्रमाण पाया गया और न ही इसके लिए कोई भुगतान किया गया था जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि संबन्धित कार्य मे सीमेंट का प्रयोग किया गया (क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्य योजना)। इसके अतिरिक्त आगणन के अनुसार एवं वास्तव में उपयोग में किए गए सीमेंट की मात्रा में बहुत अंतर पाया गया था (क्रम संख्या 04, 05 & 06 पर अंकित कार्य योजना)।

(द) कार्यादेश जारी होने से पहले की तिथि के सामग्री क्रय किए जाने के बिल/वाउचर पत्रावालियों में पाये गए। जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्यादेश जारी होने से पहले ही सामग्री क्रय कर ली गयी थी (क्रम संख्या 01 & 03 पर अंकित कार्य योजना)।

(ध) निर्माण कार्यो के आगणन एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत की गयी माप में काफी भिन्नता पायी गयी। साथ ही आगणन में प्रस्तावित सामग्री एवं लेवर अंश तथा वास्तविक भुगतान में काफी अंतर पाया गया था (क्रम संख्या 01, 02, 04 & 06 पर अंकित कार्य योजना)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उपरोक्त अनियमिताओं को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि समस्त आपत्तियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 4(ब):- क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अंतर्गत ` 232700/- धनराशि के निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना।

क्षेत्र पंचायत कालसी, जनपद देहरादून के क्षेत्र पंचायत निधि के वर्ष 2013-14 से 2015-16 से संबन्धित चयनित निर्माण कार्यों के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों के कार्यदेश के अनुसार कार्यों को तीन माह के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए था परंतु ` 175000/- की धनराशि अवमुक्त किए लगभग 15 माह बीत जाने के उपरांत भी निम्नलिखित कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे: -

क्रम संख्या	**योजना का नाम**	**अनुमानित लागत**	**अवमुक्त धनराशि (`)**
1.	लोरली गाँव में सी सी खड़ंजा	46600	35000
2.	बसाया में मंदिर आँगन का सौदर्योकरण	23300	17500
3.	पाटा में पंचायती मंदिर आँगन निर्माण	23300	17500
4.	ग्राम हयो में श्री नरेंद्र आदि के खेतों के पास हौज निर्माण	25000	19000
5.	कुनावा एस.सी. बस्ती में सी सी खड़ंजा निर्माण	21600	16000
6.	मथेऊ मंदिर का सौदर्योकरण	46600	35000
7.	लटऊ मंदिर में प्राकृतिक पानी श्रोत का सुधारीकरण कार्य	25000	16000
8.	डाबटा में सामूहिक शौचालय	21600	19000
	योग	232700	175000

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि समस्त कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था। क्योंकि समय वृद्धि के साथ-साथ मूल्य वृद्धि से इनकार नही किया जा सकता।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

(अनुलग्नक "अ")

क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अंतर्गत कराये गए चयनित कार्यों का विश्लेषण

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (`)	कुल लागत (`)	कार्य आदेश /कार्य पूर्ण तिथि	टिप्पणी
1	कोटी में श्री चमन सिंह के घर से संतराम के घर तक सी.सी.मार्ग	46600	46600	24/07/2015 & 22/08/2015	(i) आगणन एवं निर्माण उपरांत कार्य की माप में भिन्नता पायी गयी। (आगणन में क्रम संख्या 4 पर अंकित कार्य माप पुस्तिका में अंकित नहीं था) (ii) आगणन में कुल मेटीरियल लागत एवं लेवर लागत ` 41013 & ` 5737 दर्शायी गयी थी जबकि इसके सापेक्ष क्रमशः मेटेरियल में ` 14238 & लेबर में ` 32522 व्यय किया गया। (iii) कार्यदेश 24/07/2015 को जारी किया गया जबकि ` 11220/- लागत की सीमेंट का क्रय बिल कार्यादेश जारी होने से पहले की तिथि (संख्या 464 दिनांक 10/07/2015) का लगाया गया था। (iv) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (डी.पी.सी. 9) में कार्य पूर्ण/निरीक्षण की तिथि अंकित नहीं की गयी थी। साथ ही माप पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ एवं कार्य पूर्ण होने की तिथियाँ अंकित नहीं की गयी थी।
2	बडेत (सिलाड़ा) मंदिर का सौंदर्यीकरण	46600	46732/46600	23/07/2015 & 25/01/2016	(i) आगणन एवं निर्माण उपरांत कार्य की माप में भिन्नता पायी गयी। (आगणन में क्रम संख्या 3 & 4 पर अंकित कार्य माप पुस्तिका में अंकित नहीं थे)। (ii) आगणन के अनुसार कार्य के लिए सीमेंट का उपयोग किया जाना आवश्यक है परंतु पत्रावली में सीमेंट के क्रय से संबन्धित कोई बिल/वाउचर संलग्न नहीं थे, ना ही इस संबंध में कोई भुगतान किया गया था। (iii) निर्माण कार्यो में उपयोग में लाये जाने वाली सामग्री की मात्रा (क्वारिटी) का आंकलन आगणन में नहीं दर्शाया गया था। (iv) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (डी.पी.सी. 9) में कार्य पूर्ण/निरीक्षण की तिथि अंकित नहीं की गयी थी। साथ ही माप पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ एवं कार्य पूर्ण होने की तिथियाँ अंकित नहीं की गयी थी।
3	बागी गाँव में रास्ते का सुरक्षात्मक कार्य	46600	46686/46600	27/07/2015 & 26/10/2015	(i) कार्यादेश 27/07/2015 को जारी किया गया तथा मस्टर रौल के अनुसार कार्य 01 अक्टूबर 15 को शुरू किया गया था जबकि ` 7000/- लागत की सीमेंट का क्रय बिल कार्यादेश जारी होने से पहले की तिथि (संख्या 118 दिनांक 15/05/2015) का लगाया गया था। (ii) निर्माण कार्यो में उपयोग में लाये जाने वाली सामग्री की मात्रा (क्वान्टिटी) का आंकलन आगणन में नहीं दर्शाया गया था। (iii) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (डी.पी.सी. 9) में कार्य पूर्ण/निरीक्षण की तिथि अंकित नहीं की गयी थी। साथ ही माप पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ एवं कार्य पूर्ण होने की

					तिथियाँ अंकित नहीं की गयी थी।
4	रिखाड़ के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के रास्ते का सी सी मार्ग का निर्माण	46600	46398	26/07/2016 & 20/12/2016	(i) आगणन एवं निर्माण उपरांत कार्य की माप में भिन्नता पायी गयी। (आगणन में क्रम संख्या 4 पर अंकित कार्य माप पुस्तिका में अंकित नहीं था)। (ii) आगणन के अनुसार कार्य के लिए 63 बैग सीमेंट का उपयोग किया था परंतु पत्रावली एवं माप पुस्तिका के अनुसार कार्य में केवल 32 बैग सीमेंट का उपयोग किया गया है। (iii) कार्यादेश में एवं आगणन में योजना के नाम में भिन्नता थी। साथ ही पत्रावली में संबन्धित फोटोग्राफ भी संलग्न नहीं थे । (iv) प्रमाण पत्र (डी.पी.सी. 9) में कार्य पूर्ण/निरीक्षण की तिथि अंकित नहीं की गयी थी। साथ ही माप पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ एवं कार्य पूर्ण होने की तिथियाँ अंकित नहीं की गयी थी।
5	पटियाना में एस. सी बस्ती में सी सी खड़ंजा निर्माण	46600	46674/46600	जुलाई 15 /20/12/15	(i) आगणन के अनुसार कार्य के लिए 63 बैग सीमेंट का उपयोग किया था परंतु पत्रावली एवं माप पुस्तिका के अनुसार कार्य में केवल 39 बैग सीमेंट का उपयोग किया गया था। (ii) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (डी.पी.सी. 9) में कार्य पूर्ण/निरीक्षण की तिथि अंकित नहीं की गयी थी। साथ ही माप पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ एवं कार्य पूर्ण होने की तिथियाँ अंकित नहीं की गयी थी। (iii) मस्टर रोल के अनुसार कार्य 20 दिसंबर 15 तक दर्शाया गया है जबकि योजना का अंतिम भुगतान 04/11/2015 को दर्शाया गया था ।
6	पटियाना में एस. सी बस्ती में सी सी खड़ंजा निर्माण	46600	46634/46600		(i) आगणन के अनुसार कार्य के लिए 63 बैग सीमेंट का उपयोग किया था परंतु पत्रावली एवं माप पुस्तिका के अनुसार कार्य में केवल 40 बैग सीमेंट का उपयोग किया गया था । (ii) आगणन में कुल मेटीरियल लागत एवं लेवर लागत ` 41013 & ` 5737 दर्शायी गयी थी जबकि इसके सापेक्ष क्रमशः मेटेरियल में ` 15512/- & लेबर में ` 29624/- व्यय किया गया। (iii) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (डी.पी.सी. 9) में कार्य निरीक्षण की तिथि अंकित नहीं की गयी थी।
कुल योग =		**279600**	**279598**		

प्रस्तर 05–राज्य वित्त से सम्बंधित कार्यों को कार्यादेश के विपरीत कराया जाना तथ ` 4.70 लाख के कार्यों का अपूर्ण/अनारम्भ रहना ।

राज्य वित्त से सम्बंधित कार्यों के कार्यादेश के अनुसार कार्य प्राक्कलन के अनुसार क0 अभियंता की तकनीकी देख–रेख में कराया जायेगा तथा प्राक्कलन से अधिक भुगतान नही किया जायेगा, योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा, योजना का अंतिम भुगतान अवर अभियंता द्वारा कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका में करने के पश्चात एवं माप पुस्तिका सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा, निर्माण कार्य की गुणवत्ता सही तथा मानकों के आधार पर ही होनी चाहिए, कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य स्थल की एक फोटो खीचकर अंतिम भुगतान के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी तथा कार्य स्थल पर योजना निर्माण का बोर्ड भी लगाया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत, कालसी के राज्य वित्त से सम्बंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में राज्य वित्त के अंतर्गत कराये गये कार्यों में निम्नलिखित कमियां पायी गई –

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	कमियां
	वर्ष 2014–15		
1	**ध्वैरा से बकेला सम्पर्क मार्ग निर्माण**	0.70	(i) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य के निरीक्षण की तिथि दर्ज नही थी। (ii)पत्रावली में योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ संलग्न नही था। (iii) मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं0, दिनांक, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर नही थे। (iv) योजना के अंतर्गत लगाये गये साइन बोर्ड पर कार्य प्रारम्भ एवं कार्य पूर्ण की तिथि दर्ज नही थी।
2	**रानी गॉव में प्राथमिक विद्यालय भवन की चारदीवार का निर्माण कार्य**	1.50	(i)पत्रावली में योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ संलग्न नही था। (ii) मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं0, दिनांक, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नही थे। (iii))कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य के निरीक्षण की तिथि दर्ज नही थी। (iv) इस योजना के अंतर्गत लगाये जाने वाले साइन बोर्डों हेतु भुगतान की गई धनराशि में समानता नही थी।
3	**ग्राम दुधऊ में श्री आन्नद सिंह चौहान के घर के पास सुरक्षा दीवार का निर्माण**	1.50	(i)पत्रावली में योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ संलग्न नही था। (ii) मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं0, दिनांक, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नही थे।

			(iii) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य के निरीक्षण की तिथि दर्ज नही थी।
4	**रिखाड से क्यारी छानी तक सम्पर्क मार्ग निर्माण**	1.00	(i)पत्रावली में योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ संलग्न नही था। (ii)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य के निरीक्षण की तिथि दर्ज नही थी। (iii) मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं0, दिनांक, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नही थे।
5	**ग्राम झुसऊ से समारा छानी तक सर्म्पक मार्ग निर्माण**	1.00	(i)पत्रावली में योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ संलग्न नही था। (ii)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य के निरीक्षण की तिथि दर्ज नही थी। (iii) मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं0, दिनांक, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नही थे।
6	**ईच्छला में ईच्छला डाडा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण**	2.00	(i) पत्रावली में योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ संलग्न नही था। (ii)उक्त कार्य राज्य वित्त वर्ष 2014–15 से सम्बंधित था जबकि साइन बोर्ड में कार्य को राज्य वित्त वर्ष 2015–16 में दर्शाया गया था। (iii) मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं0, दिनांक, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नही थे। (iv) एम0बी0 के अनुसार कार्य पूर्ण की तिथि 30.01. 2015 थी जबकि मस्टर रोल के अनुसार कार्य पूर्ण की तिथि 25.02.2015 थी।
7	**भराड खेडा से बागी छानी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण**	1.00	(i) पत्रावली में योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ संलग्न नही था। (ii)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य के निरीक्षण की तिथि दर्ज नही थी। (iii) मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं0, दिनांक, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नही थे।
8	**सैंज से अमलावा नदी तक खच्चर मार्ग सुधारीकरण**	1.00	(i) पत्रावली में योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ संलग्न नही था। (ii) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य के निरीक्षण की तिथि दर्ज नही थी। (iii) मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं0, दिनांक, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नही थे।
9	**ब्यासी नहर में सुभाष, ओम प्रकाश आदि के खेतों का समतलीकरण सुरक्षात्मक कार्य**	0.75	(i) पत्रावली में योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ संलग्न नही था। (ii) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य के निरीक्षण की तिथि दर्ज नही थी।

			(iii) मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं0, दिनांक, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नही थे।
	वर्ष 2015–16		
1	**ग्राम सुपोऊ में मुख्य मार्ग से गांव तक मार्ग निमार्ण**	2.50	(i) पत्रावली में योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ संलग्न नही था। (ii) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य के निरीक्षण की तिथि दर्ज नही थी। (iii) मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं0, दिनांक, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नही थे।
2	**बेसोगीलानी में सड़क से इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग निर्माण**	1.00	(i) पत्रावली में योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ संलग्न नही था। (ii कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य के निरीक्षण की तिथि दर्ज नही थी। (iii) मस्टर रोल पर उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं0, दिनांक, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर के हस्ताक्षर नही थे।

आगे जांच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2014–15 के 05 कार्य तथा वर्ष 2015–16 के 03 कार्य, जिनकी कुल लागत रु 4.70 लाख थी, के सापेक्ष रु 2.90 की धनराशि व्यय के उपरांत भी लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे जबकि कार्य 03 माह में पूर्ण कराये जाने थे। अपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	**वर्ष**	**कार्य का नाम**	**लागत (लाख में)**	**अवमुक्त धनराशि**	**चैक सं0/दिनांक**	**कार्य की स्थिति**
1	2014–15	पानुवा से अमलावा नदी तक अश्व मार्ग निमार्ण	0.70	0.40	347284/21.11.2014	अपूर्ण
2	2014–15	जोशी गौंथान में माया सिंह व दौलत सिंह के घरों के पास सुरक्षा दीवार निर्माण	1.40	1.00	347284/21.11.2014 & 347291/20.01.2015	अपूर्ण
3	2014–15	हयों में पूर्ण सिंह, नरेन्द्र सिंह आदि के घर से परशुराम मंदिर तक **खडंजा** निर्माण	0.40	0.25	276080/06.04.2015	अपूर्ण
4	2014–15	भंजरा में सी0सी0 **खडंजा** निर्माण	0.40	0.20	276094/06.04.2015	अपूर्ण
5	2014–15	पानुवा में सिलाइया छानी में बरार सिंह की छानी के पास सुरक्षा दीवार निर्माण	0.50	0.30	276081/06.04.2015	अपूर्ण
1	2015–16	ग्राम बागी गांव में सी0सी0 **खडंजा** निर्माण	0.30	0.15	276140/25.08.2015	अपूर्ण
2	2015–16	ईच्छला में बलबीर,गैमा सिंह आदि के घरों के पास सामुहिक आंगन का निर्माण	0.50	0.30	276138/25.08.2015	अपूर्ण
3	2015–16	ग्राम पानुवा में **मे**न रोड से गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर सी0सी0 मार्ग निर्माण	0.50	0.30	276140/25.08.2015	अपूर्ण
		कुल योग	**4.70**	**2.90**		

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अपूर्ण/अनारम्भ कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि समय व्यतीत होने के साथ–साथ अनारम्भ/अपूर्ण कार्यों की लागत में वृद्धि एवं कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होने से इन्कार नही किया जा सकता है।

अतः राज्य वित्त से सम्बंधित कार्यों को कार्यादेश के विपरीत कराया जाना तथा रु 4.70 लाख के कार्यों का अपूर्ण/अनारम्भ रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 6: दैवीय आपदा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में आरंभ किए गए ` 13. 88 लाख के कार्यों का अपूर्ण रहना

अपर जिलाधिकारी(वि/श) देहारादून के पत्रांक 806/सी आर ए /14 दिनांक 28-3-2014 के अंतर्गत शासनादेश संख्या 49/xviii(2) /F /14-04 (32)/2013 दिनांक 7-02-2014 का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु 13 कार्यों हेतु स्वीकृत ` 60.75 लाख की धनराशि के सापेक्ष खंड विकास अधिकारी कालसी को ` 36.40 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी । ये कार्य निम्नलिखित शर्तों /उपबंधों के साथ कराये जाने थे :-

1. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संबन्धित उप जिलाधिकारी से स्थल का निरीक्षण कराया जाना था तथा इस आशय का प्रमाणपत्र लिया जाना था कि प्रश्नगत कार्य अभी भी दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त है तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों से आछादित है ।
2. कार्य किसी अन्य योजना/ विभागीय बजट से प्रारम्भ न किया गया हो ।
3. उप जिलाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि कार्य शुरु होने के बाद बीच बीच में कार्य में प्रयोग की जा रही सामग्री की जांच स्वम करेंगे । इस कार्य के लिए वे अन्य तकनीकी एजेनसी को गुणवत्ता जांच हेतु साथ लिए जा सकते हैं ।
4. कार्यदायी संस्था क्षतिग्रस्त कार्य योजना क कार्य प्रारम्भ के समय तथा कार्य समाप्ति के समय कार्य स्थल का फोटोग्राफ लेगी ।
5. कार्यदायी संस्था/ विभाग कार्य प्रारम्भ करने पर दिये गए आगणन को अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी से सत्यापन कराएंगे तथा समस्त कार्य लो नि वि द्वारा प्रचलित दरों पर स्वीकृत सीमा के अंतर्गत ही कराया जाएगा ।
6. उप जिलाधिकारी स्थल निरीक्षण करते समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि प्रस्ताव भेजते समय तथा कार्य आरंभ करने से पूर्व प्रस्तावित योजना के स्वरूप में कोई परिवर्तन न किया जाए तथा आगणन के अनुसार वर्तमान में भी वही स्थिति मौजूद हो ताकि मितव्यति से बचा जा सके।
7. कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता तथा कार्य पर इस्तेमाल की जा रही निर्माण सामग्री की समता के लिए निर्माण संस्था/विभाग सीधे उत्तरदायी होगा। मौके पर घटिया निर्माण सामग्री उपलब्ध होने तथा अन्य कोई भी शिकायत मिलने पर उप जिलाधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि वे तत्काल संबन्धित संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।
8. कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में केवल 60 प्रतिशत धनराशि तथा 40 प्रतिशत धनराशि कार्य समाप्ति पर उप जिलाधिकारी के भौतिक सत्यापन के बाद ही अवमुक्त की जाएगी ।

दैवीय आपदा से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 13 कार्यों मे से 3 कार्य जो कि वर्ष 2013-14 में आरंभ किए गया थे लेखापरीक्षा अवधि (11/2016) तक अपूर्ण थे जिनका विवरण निम्नवत है :

क्रम सं	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	प्रदत्त धनराशि	टिप्पणी	स्थिति
1.	ग्राम पं. विरमोऊ के स्कूल के नीचे सुरक्षा दीवार कार्य	2.56 लाख	1.53 लाख	ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रदत्त धनराशि 1.50 लाख	**अपूर्ण**
2.	वीरेन्द्र जोशी के दुकान से जूनियर	6.00	3.60	ग्राम पंचायत अधिकारी	**अपूर्ण**

	हाई स्कूल तक सी सी मार्ग निर्माण कार्य	लाख	लाख	को प्रदत्त धनराशि 3.00 लाख	
3.	ग्राम पं. रिखाड़ के ग्राम विरमौऊ मे धनटू खड्ड में पुलिया निर्माण कार्य	5.32 लाख	3.19 लाख	ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रदत्त धनराशि 3.00 लाख	**अपूर्ण**

इस संबंध में इकाई से पूँछे जाने पर तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि कर बताया गया कि समस्त अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाएगा तथा लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन सभी कार्यों के लिए पहली किस्त से मार्च 2014 में भुगतान किया गया था तथा इन कार्यों को तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाना था, अतः लंबी अवधि बीत जाने पर भी इन दैवीय आपदा ग्रस्त कार्यों का पूर्ण न किया जाना गंभीर अनियमितता को दर्शाता है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग4(ब)–2

प्रस्तर 7:- इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों का पूर्ण न किया जाना

इन्दिरा आवास योजना केन्द्र प्रायोजित एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि 1 जनवरी 1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप मे लागू की गई। इस योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति /जनजाति के लोगों, मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों एवं गैर अनुसूचित जाति /जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण जनों को रहने योग्य आवास उपलब्ध करना तथा रहने योग्य न रहे उपलब्ध आवासों को उच्चीकृत करना था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत विकास खंड कालसी में 122 अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों का चयन किया गया था। 122 लाभार्थियों को प्रथन किस्त के रूप मे ` 18750/- की दर से धनराशि अवमुक्त की गई थी। 122 के सापेक्ष मात्र 26 लाभार्थियों को ही द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया था। आगे यह भी पाया गया की इन सभी लाभार्थियों को ` 75000/- की दर से मकान बनाने हेतु स्वीकृत किया गया था। समस्त लाभार्थियों के आवासों के निर्माण कार्य (2013-14 से 2015-16 तक)अपूर्ण थे(लेखापरीक्षा तिथि नवम्बर 2016 तक)।

आगे पाया गया कि इनके अपूर्ण रहने का कारण खंड द्वारा समय पर लाभार्थियों से संबन्धित कागजी कार्यवाही पूर्ण नहीं करना तथा उनकी निरीक्षण रिपोर्ट समय से प्रस्तुत नहीं करना था। यह भी पाया गया कि एक लाभार्थी को द्वितीय किस्त दो बार भुगतान की गई थी। जिसे वसूला नहीं जा सका था। निरीक्षण रिपोर्ट 123 लाभार्थियों की भेजी जा रही थी जबकि भारत सरकार की सूची में लाभार्थियों की संख्या 125 थी। विकास खंड द्वारा उपलब्ध कराई गई बजट विवरणी के अनुसार 2014-15 में ` 10,29,750/- रुपये एवं 2015-16 में ` 39,54,000/- रुपये अवमुक्त एवं व्यय किए गए थे जबकि उपलाब्ध कराई गई लाभार्थियों की सूची के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय किस्त पर किए गए व्यय का कुल योग ` 34,02,500/- था। पूँछने पर अंतर के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया। खंड द्वारा अपने ग्राम विकास अधिकारियों को बार बार स्मरण पत्र भेजने पर भी कोई प्रगति नहीं थी। योजना के अभिलेखों का रखरखाव खराब था, समय पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी, उच्च अधिकारियों/ महालेखाकार के आपत्तियों पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इकाई से पूँछने पर तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि कर कहा गया कि इन्दिरा आवास योजना से संबन्धित समस्त आवासों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जाएगा तथा लेखापरीक्षा आपत्तियो का निराकरण किया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं थी।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग4(ब)–2

प्रस्तर 8(अ):- सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत 16.50 लाख रुपये के कार्यों का अपूर्ण रहना

खंड विकास अधिकारी, कालसी के सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के कार्यों कि लेखापरीक्षा में देखा गया की वर्ष 2014-15 में आरंभ किए गए 10 निर्माण कार्यों की योजनाओं को BRGF एवं MGNREGA के साथ समन्वित / युगपतिकरण के अतर्गत पूर्ण कराया जाना था। इस युगपतिकरण के अंतर्गत MGNREGA द्वारा वहनीय तथा BRGF के अंतर्गत वहन किए जाने वाले अंश का भाग पूर्णतया पूर्व निर्धारित रखा गया था। इन कार्यों को 3 माह के भीतर पूर्ण कराया जाना था। इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किए गए निर्माण कार्यों में से 3 के कार्य पूर्ण नहीं हो पाये थे (नवम्बर 2016)। जिनका विवरण निमन्वत है :

क्रं सं	योजना का नाम	लागत			व्यय धनराशि			भुगतान की तिथि प्रथम	स्थिति (नवम्बर 2016)
		MGNREGA (केंद्राभिसरण /युगपतिकरण)	BRGF	कुल लागत	MGN REGA	BRGF	कुल		
1.	ग्राम पणायसा में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र	2.50 लाख	3.00 लाख	5.50 लाख	54600/	2.85 लाख	3,39,600	7-11-2014	अपूर्ण
2.	ग्राम कोरुवा में सामुदायिक भवन	2.50 लाख	3.00 लाख	5.50 लाख	243246	2.75 लाख	5,18,246	15-04-2015	अपूर्ण
3.	ग्राम पंचायत कुना डाकुरा में राइ का में छात्रावास निर्माण	2.20 लाख	3.00 लाख	5.50 लाख	250011	2.90 लाख	5,40,011	23-06-2015	अपूर्ण

इस संबंध में इकाई से पूँछे जाने पर तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि कर बताया गया कि अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन सभी कार्यों को तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाना था, अतः लंबी अवधि बीत जाने पर भी इन कार्यों का पूर्ण न किया जाना गंभीर अनियमितता को दर्शाता है।

प्रस्तर 8(ब):- सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत 5.50 लाख की लागत से किए गए कार्य की समीक्षा"

सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत किए गए कार्य की नमूना जांच में पाया गया कि **ग्राम सभा बिजऊ में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण ` 5.50 लाख की लागत से पूर्ण किया जाना था।** जिसमें एक कक्ष,एक मेड कक्ष, एक स्टोर कक्ष, एक शौचालय, एक बरामदा एवं दो 1.20 मीटर के स्टेप का निर्माण किया जाना था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित कमियाँ थीं :

1. भुगतान नगद किया गया था।

2. कार्य पूर्ण करने मे 5 माह का विलंब हुआ था।

3. रायल्टी की दर 90/- के स्थान पर 80/- दावा करने के कारण रुपये 562/- कम वसूले गए।

4. अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार सामग्री के क्रय हेतु समिति का गठन एवं सामग्री की गुणवत्ता संबंधी प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था।

5. कार्य पूर्ण होने पर उपरोक्त कक्षों के निर्माण से संबन्धित कोई प्रमाणपत्र नहीं लगा था जिससे स्पष्ट हो कि उपरोक्त सभी कक्षों/कार्यों का निर्माण कर लिया गया है।

6. DPC – 9 में labour और material का योग निम्नवत दर्शाया गया था :

Labour 1,49,975/-

मटिरियल 3,50,025/-

कुल योग 5,50,000/- जो कि पूर्णतया गलत था दोनों का योग 5,00,000/- होता है इससे स्पष्ट था कि लेखांकन में शिथिलता बरती गई थी।

7. कुल भुगतान वाऊचरों का योग ` 5,78,977/- होता है जबकि पेमेंट कैलक्युलेशन शीट में ` 5.50 लाख दर्शाया गया था। धनराशि किसको कम भुगतान की गई थी यह स्पष्ट नहीं था क्योंकि भुगतान की receipt /प्राप्ति उपलब्ध नहीं थी।

इस संबंध में इकाई से पूँछे जाने पर बताया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई कमियों का यथाशीघ्र निवारण किया जाएगा। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस निर्माण कार्य में उपरोक्त कमियाँ थीं।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 9:- मनरेगा (MGNREGA) के अंतर्गत कराये गए ` 20.86 लाख के निर्माण कार्यों में अनियमितताएं।

खंड विकास अधिकारी कालसी के कार्यालय अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे मनरेगा योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के संबंध मे कार्यादेश मे निम्नलिखित शर्तें दी गई थी :-

1. निर्माण कार्य उच्च कोटि का होना चाहिए ।
2. निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप पूर्ण कराना अनिवार्य होगा ।
3. निर्माण कार्य पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात बोर्ड सहित फोटो खींचना अनिवार्य होगा ।
4. योजना का भुगतान सतर्कता / निगरानी समिति के समक्ष किया जाएगा । योजना की MB कराना अनिवार्य होगा ।
5. ग्राम पंचायत द्वारा किए गए भुगतान का सदुपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के साथ खर्चे का ब्योरा तथा निगरानी समिति की रिपोर्ट भी संलग्न होनी चाहिए ।

म न रे गा योजना के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य मे निम्नलिखित कमियाँ थी ।

1. MB में कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक, कार्य पूर्ण करने की दिनांक एवं MB करने की दिनांक दर्ज नही थी । (संलग्नक के कार्य 1 से 5 तक)
2. MB, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं वास्तविक भुगतान मे अंतर था ।(संलग्नक के बिन्दु 1 से 5 तक)
3. कार्य निगरानी समिति की रिपोर्ट संलग्न नहीं थी। (बिन्दु 2 से 5 तक)
4. सामाग्री क्रय करते समय अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन नहीं किया गया था (संलग्नक के बिन्दु 1 से 5 तक)
5. सभी कार्यों मे board लगाए गए थे किन्तु भुगतान किसी भी कार्य में नहीं दर्शाया गया था । बोर्ड कहाँ से लगाए गए स्पष्ट नहीं था ।
6. पत्थर एवं बजरी ढुलान आदि वाऊचरों मे दिनांक मे कटिंग की गई थी जिससे स्पष्ट नहीं था की इनको कितने दिन का भुगतान किया गया है तथा इनकी दरें क्या हैं ।

इस संबंध में में इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुये बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई कमियों की जांच कर यथाशीघ्र त्रुटि दूर की जाएंगी।

इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस निर्माण कार्य में उपरोक्त कमियाँ थीं ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

(संलग्न अ)

मनरेगा (MGNREGA) के अंतर्गत कराये गए ` 20.86 लाख के निर्माण कार्यों की जांच मे पाई गई कमियाँ

क्रमांक	निर्माण कार्य का नाम	कमियाँ
1	ग्राम रानी गाँव में सुरक्षा दीवार निर्माण (महेशानन्द व बालाराव आदि के घरों के नीचे) लागत **` 4.87 लाख**	1. MB मे कार्य प्रारम्भ करने, पूर्ण करने एवं MB करने की दिनांक अंकित नहीं थी । 2. MB रुपये 4,79,700/- की गई थी जिसके सापेक्ष मात्र रुपये 4,74,916/- का भुगतान किया गया था। किस मद नें भुगतान कम किया गया था दर्ज नहीं था । 3. योजना के board पर व्यय ` 2500/- किया गया था जबकि अन्य योजनाओं मे यह व्यय ` 1000/-से ` 2000/-तक था । 4. मस्टर रोल पर कटिंग, सफेदा लगाया गया था । 5. पत्थर ढुलान हेतु ` 7700/- से ` 7770/- तक का दावा किया गया था जोकि 10 से 20 दिन की मजदूरी एवं पत्थर लागत को दर्शाया गया था जिससे स्पष्ट नहीं था की इनकी प्रतिदिन की दरें क्या थीं । क्योंकि उपरोक्त वाऊचरों में दिनांकों में कटिंग की गई थी। अतः वास्तविकता से अंतर होने से इंकार नहीं किया जा सकता है । 6. सामग्री क्रय करते समय अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार समिति का गठन नहीं किया गया था । 7. भुगतान हेतु निगरानी समिति द्वारा रुपये 479700/- का भुगतान करने हेतु अनुमोदन किया गया था लेकिन वास्तव मे भुगतान ` 474916/- किया गया था । निगरानी समिति से अंतर भुगतान किए जाने का कारण स्पष्ट नहीं था।
2	कालसी खंडु में तारजाल निर्माण (लागत 3.00 लाख)	1. MB में रुपये 297325/-का निर्माण कार्य दर्शाया गया था, जबकि भुगतान UC में ` 297187/- करना दर्शाया गया था । किन्तु वास्तविक भुगतान ` 294687/- का किया गया था । किस मद मे भुगतान कम किया गया था यह स्पष्ट नहीं था । 2. MB मे कार्य आरंभ करने, कार्य पूर्ण करने, एवं कार्य की MB करने की तिथि दर्ज नहीं थी ।
3	ग्राम पंचायत बमराड मे सुरक्षात्मक कार्य(लागत 5.00 लाख)	1. MB मे कार्य आरंभ करने, कार्य पूर्ण करने, एवं कार्य की मपाई /MB करने की तिथि दर्ज नहीं थी । 2. MB रुपये 499900/- की, गई थी जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र मे रुपये 499716/- दर्शाया गया था । जबकि वास्तविक भुगतान ` 493935/- रुपये का किया गया था । धनराशि किस मद में कम की गई थी यह स्पष्ट नहीं था । 3. Sign Board बनाने हेतु कोई भुगतान नहीं किया गया था। **4.** निगरानी समित की संस्तुति फ़ाइल पर उपलब्ध नहीं थी।
4	ग्राम नागऊ में हरिजन बस्ती के नीचे तार जाल सुरक्षा दीवार निर्माण (लागत 4.99 लाख)	1. MB मे कार्य आरंभ करने, कार्य पूर्ण करने, एवं कार्य की मपाई /MB करने की तिथि दर्ज नहीं थी । 2. MB 497979/- की गई थी एवं कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र 497485/- का संलग्न था , जबकि वास्तविक भुगतान ` 467286/- का किया गया था । 3. कार्य विलंब से (6 माह बाद) पूर्ण किया गया था । 4. Sign Board हेतु कोई भुगतान नहीं किया गया था । 5. निगरानी समिति की संस्तुति संलग्न नहीं थी ।
5	ककाड़ी रोड के नीचे सुरक्षात्मक कार्य (लागत 3.00 लाख)	1. MB मे कार्य आरंभ करने, कार्य पूर्ण करने, एवं कार्य की मपाई /MB करने की तिथि दर्ज नहीं थी । 2. MB 299000/- की गई थी एवं कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र ` 299412/- का संलग्न था जबकि वास्तविक भुगतान ` 280898/- का

		किया गया था। भुगतान किसको कम किया गया था यह स्पष्ट नहीं था। 3. निगरानी समिति का अनुमोदन कितनी धनराशि हेतु किया गया था , संलग्न नहीं था। **4.** साइन बोर्ड हेतु भुगतान नहीं किया गया था।

<u>भाग 4(ब)-2</u>

प्रस्तर 10 :- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली के तहत ` 88751778/- धनराशि के निर्माण कार्यों के सापेक्ष उपकर की धनराशि निर्माण कार्यों से कटौती करके कल्याण बार्ड़ निधि में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र सख्यां/740- VII/14-680(श्रम2002/(टी.सी-.II दिनांक -13 सितम्बर 2013 द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिको के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम - भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार) नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन (अधिनियम 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998) के अन्तर्गत अधिनियमित किये गये है जिसमें निर्माण श्रमिको के पंजीयन के उपरान्त उन्हे विभिन्न हितकारी योजनाओं द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये है।

उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिको की कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानो द्वारा अपने निर्माण कार्यो की लागत का एक प्रतिशत उपकर के रुप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किये जाने का प्रावधान था। इसके अन्तर्गत सरकारीतथा गैर सरकारी निर्माण कार्य सम्मिलित किये गये है जिनमे दस या दस से अधिक निर्माण श्रमिक विगत एक वर्ष में किसी भी दिन नियोजित रहे है। उत्तराखण्ड़ शासन ने ग्राम विकास विभाग के समस्त खंड विकास अधिकारियों को उनके द्वारा अथवा उनके नियंत्रणाधीनकराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यो या जहां निर्माण कार्यों हेतु प्राधिकारी अनुमोदन आवश्यक है को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया था।

कार्यालय खंड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत कालसी, जनपद - देहरादून में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा न तो भुगतानो के बिलों से उपकर की कटौती की गयी है और न ही निर्माण कार्यों का आगणन में *एक प्रतिशत* उपकर का प्रावधान किया गया है जिसे कल्याण बार्ड़ की निधि में जमा किया जाना था। इकाई की अनुदान पंजिका एवं अन्य बजट अभिलेखोंकी जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत निर्माण कार्यों में वर्ष 2015-16 में ` 88751778/- की धनराशि व्यय की गयी थी जिसके सापेक्ष *एक प्रतिशत* उपकर की कटौती नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य के लिए अंकित किया गया है, शासनादेशों के उपलब्ध न होने के कारण अनुपालन नहीं किया जा सका था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपकर की कटौती के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा वर्ष 2014एवं उससे पहले भी निर्देश जारी कर दिये गये थे। क्षेत्र पंचायत द्वारा नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है परिणाम स्वरुप में ` 88751778/- धनराशि के निर्माण कार्यों के सापेक्ष ***1 प्रतिशत*** उपकर की कटौती नहीं की गयी थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग4(ब)–2

प्रस्तर 11– 13 वें वित्त आयोग(क्षे0पं0अंश) से सम्बंधित कार्यों को कार्यादेश के दिशा–निर्देशों के विपरीत कराया जाना ।

13वें वित्त आयोग(क्षे0पं0अंश) से सम्बंधित कार्यों के कार्यादेश के अनुसार कार्य प्राक्कलन के अनुसार क0 अभियंता की तकनीकी देख–रेख में कराया जायेगा तथा प्राक्कलन से अधिक भुगतान नही किया जायेगा, योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा, योजना का अंतिम भुगतान अवर अभियंता द्वारा कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका में करने के पश्चात एवं माप पुस्तिका सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा, निर्माण कार्य की गुणवत्ता सही तथा मानकों के आधार पर ही होनी चाहिए, कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य स्थल की एक फोटो खीचकर अंतिम भुगतान के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी तथा कार्य स्थल पर योजना निर्माण का बोर्ड भी लगाया जायेगा तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह थी।

क्षेत्र पंचायत, कालसी के 13वें वित्त आयोग(क्षे0पं0अंश)से सम्बंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में 13वें वित्त के अंतर्गत कराये गये कार्यों में निम्नलिखित कमियां पायी गई –

dz 0l a0	dk;Z dk uke	Ykxr ¼`yk[k esa½	dk;kZns'k@dk;Z iw.kZ dh frfFk	fVIi.kh
		o"kZ 2014&15		
1	bZPNyk esa is;ty ykbZu ejEer dk;Z	1-50	28-10-2014 & 28-01-2015	¼i½ dk;Z iwfrZ izek.k i= esa dk;Z izkjEHk ,oa fujh{k.k dh frfFk ntZ ugh FkhA ¼ii½i=koyh esa ;kstuk izkjEHk ls iwoZ dk QksVksxzkQ RkFkk dk;Z iw.kZ gks tkus ds ckn dk QksVksxzkQ ugh ik;k x;kA ¼iii½ Bill of Quantity esa Sign Board dk izko/kku fd;k x;k Fkk rFkk Sign Board gsrq # 1500@ dk Hkqxrku fd;k x;k FkkA ijUrq i=koyh esa Sign Board dk QksVksxzkQ ugh ik;k Xk;kA ¼iv½dk;kZns'k fnukad 24-12-2014 dks tkjh fd;k x;k Fkk rFkk dk;Z fnukad 01-06-2015 ¼05 ekg ds foyEc ls½ dks izkjEHk fd;k x;k FkkA tcfd dk;kZns'k ds vuqlkj dk;Z] dk;kZns'k tkjh gksus ds 03 ekg esa

				iw.kZ fd;k tkuk FkkA ¼v½ eLVj jksy ij mifLFkfr ysus okys ds gLrk{kj] xzke iapk;r dk izLrko la0] fnukad ,oa xzke iz/kku ds gLRkk{kj ugh FksA
2	/oSjk esa is;ty ykbZu ejEer dk;Z	1-00	28-10-2014 & 28-01-2015	¼i½ dk;Z iwfrZ izek.k i= esa dk;Z izkjEHk ,oa fujh{k.k dh frfFk ntZ ugh FkhA ¼ii½ i=koyh esa ;kstuk izkjEHk ls iwoZ dk QksVksxzkQ RkFkk dk;Z iw.kZ gks tkus ds ckn dk QksVksxzkQ ugh ik;k x;kA ¼iii½ lkbu cksMZ gsrq # 1500@ dk Hkqxrku fd;k x;k FkkA ijUrq i=koyh esa lkbu cksMZ dk QksVksxzkQ ugh ik;k Xk;kA ¼iv½ eLVj jksy ij mifLFkfr ysus okys ds gLrk{kj] xzke iapk;r dk izLrko la0] fnukad ,oa xzke iz/kku ds gLRkk{kj ugh FksA
3	xzke iapk;r fleksx ds dksfy;k [ksMk esa VSad fuekZ.k	0-50	28-10-2014 & 28-01-2015	¼i½ dk;Z iwfrZ izek.k i= esa fujh{k.k dh frfFk ntZ ugh FkhA ii½i=koyh esa ;kstuk izkjEHk ls iwoZ dk QksVksxzkQ ugh ik;k x;kA ¼iii½ eLVj jksy ij mifLFkfr ysus okys ds gLrk{kj] xzke iapk;r dk izLrko la0] fnukad ,oa xzke iz/kku ds gLRkk{kj ,oa xzke iapk;r vf/kdkjh ds gLrk{kj ugh FksA
4	dksVh esa is;ty ykbZu ejEer dk;Z	0-50	28-10-2014 & 28-01-2015	¼i½ dk;Z iwfrZ izek.k i= esa dk;Z izkjEHk ,oa fujh{k.k dh frfFk ntZ ugh FkhA ¼ii½i=koyh esa ;kstuk izkjEHk ls iwoZ dk QksVksxzkQ ugh ik;k x;kA ¼iii½ eLVj jksy ij mifLFkfr ysus okys ds gLrk{kj] xzke iapk;r dk izLrko la0] fnukad ,oa xzke iz/kku ds gLRkk{kj ,oa xzke iapk;r

				vf/kdkjh ds gLrk{kj ugh FksA
5	fMeÅ esa fotksjh Nkuh esa सामूहिक flpkbZ VSad fuekZ.k	0-50	28-10-2014 & 28-01-2015	¼i½ dk;Z iwfrZ izek.k i= esa fujh{k.k dh frfFk ntZ ugh FkhA ¼ii½i=koyh esa ;kstuk izkjEHk ls iwoZ dk QksVksxzkQ ugh ik;k x;kA ¼iii½ eLVj jksy ij mifLFkfr ysus okys ds gLrk{kj]xzke iapk;r dk izLrko la0] fnukad ,oa xzke iz/kku ds gLRkk{kj ,oa xzke iapk;r vf/kdkjh ds gLrk{kj ugh FksA
o"kZ 2015&16				
1	dksVh esa is;ty ykbu ejEer¼vfrfjDr dk;Z½	0-50	01-04-2015 & 01-07-2015	¼i½ dk;Z iwfrZ izek.k i= esa fujh{k.k dh frfFk ntZ ugh FkhA ¼ii½i=koyh esa ;kstuk izkjEHk ls iwoZ dk QksVksxzkQ ugh ik;k x;kA ¼iii½ fuekZ.k dk;Z gsrq lkexzh dk dz; vizSy 2015 esa fd;k x;k Fkk tcfd dk;Z vxLr 2015¼04 ekg foyEc½ esa izkjEHk fd;k x;kA dk;kZns'k ds vuqlkj dk;Z iw.kZ djus dh vof/k 03 ekg FkhA ¼iv½ eLVj jksy ij mifLFkfr ysus okys ds gLrk{kj] xzke iapk;r dk izLrko la0] fnukad ,oa xzke iz/kku ds gLRkk{kj ,oa xzke iapk;r vf/kdkjh ds gLrk{kj ugh FksA
2	xzke fleksx esa dksfy;k [ksMk esa VSad fuekZ.k	0-50	08-04-2015 & 08-07-2015	¼i½ dk;Z iwfrZ izek.k i= esa fujh{k.k dh frfFk ntZ ugh FkhA ¼ii½i=koyh esa ;kstuk izkjEHk ls iwoZ dk QksVksxzkQ ugh ik;k x;kA ¼iii½ eLVj jksy ij mifLFkfr ysus okys ds gLrk{kj] xzke iapk;r dk izLrko la0] fnukad ,oa xzke iz/kku ds gLRkk{kj ,oa xzke iapk;r vf/kdkjh ds gLrk{kj ugh FksA
3	C;klhugjh esa मेन jksM ds ikl	0-50	25-08-2015 &	¼i½ dk;Z iwfrZ izek.k i= esa fujh{k.k dh frfFk ntZ ugh FkhA

	ukyh fuekZ.k dk;Z		25.11.2015	¼ii½i=koyh esa ;kstuk izkjEHk ls iwoZ dk QksVksxzkQ ugh ik;k x;kA ¼iii½ dk;kZns'k ds vuqlkj dk;Z dk;kZns'k tkjh djus dh frfFk ls 03 ekg esa iw.kZ fd;k tkuk FkkA dk;kZns'k fnukad 25-08-2015 dks fuxZr fd;k x;k Fkk tcfd dk;Z fnukad 01-01-2016 ¼04 ekg foyEc½ esa izkjEHk fd;k x;kA ¼iv½ eLVj jksy ij mifLFkfr ysus okys ds gLrk{kj] xzke iapk;r dk izLrko la0] fnukad ,oa xzke iz/kku ds gLRkk{kj ,oa xzke iapk;r vf/kdkjh ds gLrk{kj ugh FksA
4	xzke MkaMk esa is;ty ykbZu dk;Z	0-50	25.08.2015 & 25.11.2015	¼i½ dk;Z iwfrZ izek.k i= esa fujh{k.k dh frfFk ntZ ugh FkhA ¼ii½i=koyh esa ;kstuk izkjEHk ls iwoZ dk QksVksxzkQ ugh ik;k x;kA ¼iii½ eLVj jksy ij xzke iapk;r dk izLrko la0] fnukad ,oa xzke iz/kku ds gLRkk{kj ,oa xzke iapk;r vf/kdkjh ds gLrk{kj ugh FksA

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा आपत्तियों का निराकरण कर सूचित किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्यादेश के अनुसार कार्य की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की होनी चाहिए ।

अतः 13वें वित्त आयोग(क्षे0पं0अंश) से सम्बंधित कार्यों को कार्यादेश के दिशा–निर्देशों के विपरीत कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-4, अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति खण्ड़ विकास अधिकारी, **क्षेत्र पंचायत कालसी,जनपद-देहरादून** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0